ई–मेल

# कार्यालय वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी

(वन भवन, एच0आई0जी0–33,अशोक बिहार कालोनी फेज–1 पहड़िया वाराणसी–221007)
E-Mail-cfvaranasi2@yahoo.com, cfva-up@nic.in दूरभाष–0542–2585444

पत्रांक–**1345** /2–43 दिनांकः वाराणसीः दिसम्बर, **13** 2023

सेवा में,

**रजिस्ट्रार जनरल,**
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
(एन0जी0टी0) नई दिल्ली।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, (एन0जी0टी0) नई दिल्ली में योजित (एम0ए0नं0 78/2023) ओ0ए0 नम्बर–101/2023 लाल चन्द्र शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पारित आदेश दिनांक–03.03.2023 का अनुपालन विषयक।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, (एन0जी0टी0) नई दिल्ली में योजित एम0ए0नं0 78/2023 In Original Application No-101/2023 लाल चन्द्र शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित ओदश दि0–03.03.2023 के अनुपालन की रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्नकर प्रेषित है।

**संलग्नकः–** **उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,
13/12/2023
(अखिलेश पाण्डेय)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी

**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, (एन0जी0टी0) नई दिल्ली में योजित (एम0ए0नं0 78/2023) In Original Application No-101/2023 लाल चन्द्र शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक–14.09.2023 की अनुपालन आख्या**

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, (एन0जी0टी0) नई दिल्ली में योजित (एम0ए0नं0 78/2023) In Original Application No-101/2023 लाल चन्द्र शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित ओदश दि0–14.09.2023 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है:–

"..................." 3. In our view the grievence at the first instance can be looked into by the local Authorities for the purpose whereof, we constituete a Joint Committee comprising PCCF(HoFF), State PCB and District Magistrate, Jaunpur who shall look into the Complaint, visit the site, collect relevant information and if finds violation, take appropriate remedial action in accordance with law within two months.

4. The District Magistrate, Jaunpur shall be nodal agency for coordination and compliance."

3. The Joint inspection Committee has filed the report along with the covering letter dated 13.05.2023 stating that during the inspection 21 trees were standing on the site and electricity department has been restrained from cutting them but 31 trees were already cut for the purpose of setting up of the transformer repair plant, therefore, electricity department has been asked to give an undertaking to plant 510 fast growing trees i.e.more than 10 time of trees fallen as Compensatory plantation.

4. We are of the view that necessary action in accordance with law is now required to be taken by the competent officer of the Forest Department to plant fruit bearing, broad leaf,native species of trees.

5. Hence,we dipose of this M.A with a direction to the Consevator of Forest,Forest Department,Varanasi Range to ensure appropriate action for compensatory plantation and recovery of compensation on the basis of the report of the Joint Inspection Committee after giving an opportunity of hearing to the concerned electricity department.

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी जौनपुर की अध्यक्षता मे गठित कमेटी के निर्णय के परिपेक्ष्य मे निम्न तथ्य उल्लेखनीय है:–

1– मौके पर खड़े 21 वृक्षों का पातन न करे।

2– कार्यशाला परिसर में विद्युत कार्यशाला निर्माण हेतु पातन किये गये वृक्षों के प्रतिपूर्ति हेतु 510 पौधों का (शीघ्र बढ़ने वाले) पौधरोपण कराने का बचनबद्धता (अण्डर टेकिंग) कमेटी के समक्ष विद्युत विभाग प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

तत्क्रम मे वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी के कार्यालय पत्रांक–932/2–43, दिनांक–19.10.2023 के द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत जनपद खण्ड, (वि0) वाराणसी को उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए बचनबद्धता प्रमाण पत्र वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी के कार्यालय में दिनांक–25.10.2023 को पूर्वाहन 11:00 बजे स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त तिथि को अधिशासी अभियंता द्वारा उपस्थित न होने के कारण पुनः वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी के कार्यालय पत्रांक –1212/2–43, दिनांक–29.11.2023 द्वारा उक्त बिन्दुओं पर बचनबद्धता देने के लिए कहा गया। कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत जानपद खण्ड (वि0) पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत नगर, भिखारीपुर, डी0एल0डब्ल्यू0 वाराणसी के पत्रांक–1976/ वि0जा0ख0(वि0)वा/दिनांक–29.11.2023 द्वारा वांछित शपथ पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसमें बचनबद्धता नोटोराइज्ड के रूप में नही पाया गया, फलस्वरूप पुनः निर्देश दिया गया कि उक्त बिन्दुओं पर बचनबद्धता नोटोराइज्ड में प्रस्तुत करे। कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्यृत जानपद खण्ड (वि0) पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत नगर, भिखारीपुर, डी0एल0डब्ल्यू0 वाराणसी के पत्रांक–2018/वि0जा0ख0(वि0)वा/बदलापुर,–जौनपुर दिनांक–08.12.2023 द्वारा नोटोराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्यों से अवगत कराये :–

1– कार्यस्थल पर अवशेष किसी भी वृक्ष का किसी भी दशा में अधिशासी अभियंता विद्युत जानपद खण्ड (वि0) वाराणसी द्वारा पातन नहीं किया जायेगा।

2– विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला के परिसर में अवस्थित रिक्त स्थानों पर वन विभाग के मानक के अनुसार 31 अदद् पौधों का पौधारोपण कर दिया गया है।

3– अवशेष लगभग 490 पौधों का पौधारोपण सुनिश्चित करने हेतु प्रभागीय निदेशक जौनपुर के कार्यालय पत्रांक संख्या–3550/22–5/जौनपुर दिनांक–25.04.2023 के द्वारा चाही गयी वांछित धनराशि रू0–4,07,100.00 का भुगतान प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर (N.H.-56) के खाता संख्या–1127104000075572 एवं IFSC-IBKL0001127 में कर दिया गया है।

4– इस प्रकार कार्यस्थल पर अवशेष 490 पौधो का स्थल ग्रामसभा–पट्टीदयाल पर सफलता पूर्वक करा दिया गया है।

अधिशासी अभियंता विद्युत जानपद खण्ड (वि0) वाराणसी द्वारा बचनबद्धता दिया गया है। कि कार्यस्थल पर अवशेष किसी भी वृक्ष का किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला के परिसर में अवस्थित रिक्त स्थानों पर वन विभाग के मानक के अनुसार 31 अदद् पौधों का पौधारोपण कर दिया गया है। जिलाधिकारी, जौनपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि मौके पर खड़े 31 वृक्षों का पातन न करने हेतु विद्युत विभाग को दिये गय निर्देश के कम मे उसकी प्रतिपूर्ति हेतु 510 (शीघ्र बढने वाले) पौधों का पौधारोपण करने का बचनबद्धता विद्यृत विभाग द्वारा दी जायेगी। विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला के परिसर में स्थित रिक्त स्थानों पर वन विभाग के मानक के अनुसार 31 वृक्षों का पौधारोपण कर दिया गया है। अवशेष लगभग 490 पौधों का पौधारोपण सुनिश्चित करने हेतु प्रभागींय निदेशक, जौनपुर के कार्यालय पत्रांक–3550/22–5/जौनपुर दिनांक–25.04.2023 द्वारा मागी गयी वांछित धनराशिरू–4,07,100.00 का भुगतान प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर (N.H.-56) के खाता संख्या–1127104000075572 एवं IFSC-IBKL0001127 में कर दिया गया है। इन वृक्षों का पौधारोपण वांछित स्थल ग्रामसभा–पट्टीदयाल में प्रभागीय निदेशक, जौनपुर ने कार्यालय पत्रांक–2103/2–43, दिनांक–05.12. 2023 द्वारा 490 पौधों का रोपण सम्पादन कर दिया गया।

उपरोक्त तक्ष्यो से स्पष्ट है कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग द्वारा विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला के परिसर मे खडे 21 वृक्षो का पातन नही किया जायेगा। विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला के परिसर मे रिक्त स्थानो पर वन विभाग के मानक के अनुसार 31 अदद पौधो का रोपण विद्युत विभाग द्वारा कर दिया गया हैं तथा अवशेष लगभग 490 पौधो के रोपण हेतु प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी जौनपुर को **मु0–407100.00 (रू0 चार लाख सात हजार एक सौ) मात्र** की धनराशि विद्युत विभाग द्वारा भुगतान कर दी गयी है जिसके सापेक्ष प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी जौनपुर द्वारा कार्यवाही करते हुऐ वांछित स्थल ग्राम सभा–पट्टीदयाल पर 490 अदद पौधो का स्थानीय प्रजातियो के साथ फलदार व चौड़ी पत्तियों का चयन करते हुए वृक्षारोपण का कार्य सफलता पूर्वक कर दिया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होना चाहें।

**भवदीय,**

13/12/2023

**(अखिलेश पाण्डेय)**
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी

# कार्यालय वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी

(वन भवन, एच0आई0जी0–33,अशोक बिहार कालोनी फेज–1 पहड़िया वाराणसी–221007
E-Mail-cfvaranasi2@yahoo.com, cfva-up@nic.in दूरभाष–0542–2585444


पत्रांक– 932 /2–43 दिनांकः वाराणसीः अक्टूबर, 19 – 2023

सेवा में,

**अधिशासी अभियंता,**
विद्युत जनपद खण्ड,(वि0)
वाराणसी ।

विषयः– मा0एन0जी0टी0,नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–101 / 2023 (एम0ए0नं078 / 2023) लाल चन्द्र शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दि0–14–09–2023 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी का पत्रांक–1564 / ओ0ए0एन0101 / 2023 / 23–24 दिनांक–19–09–2023

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें,जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित व आपको भी पृष्ठांकित है। मा0एन0जी0टी0,नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–101 / 2023 (एम0ए0नं078 / 2023) लाल चन्द्र शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0 पी0 में पारित आदेश दिनांक–14–09–2023 को आदेश पारित किया गया है जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित हैः–

"..................." 3. In our view the grievence at the first instance can be looked into by the local Authorities for the purpose whereof, we constituete a Joint Committee comprising PCCF(HoFF), State PCB and District Magistrate, Jaunpur who shall look into the Complaint, visit the site, collect relevant information and if finds violation, take appropriate remedial action in accordance with law within two months.

4. The District Magistrate, Jaunpur shall be nodal agency for coordination and compliance."

**3.** The Joint inspection Committee has filed the report along with the covering letter dated 13.05.2023 stating that during the inspection 21 trees were standing on the site and electricity department has been restrained from cutting them but 31 trees were already cut for the purpose of setting up of the transformer repair plant, therefore, electricity department has been asked to give an undertaking to plant 510 fast growing trees i.e.more than 10 time of trees fallen as Compensatory plantation.

**4.** We are of the view that necessary action in accordance with law is now required to be taken by the competent officer of the Forest Department to plant fruit bearing, broad leaf,native species of trees.

**5.** Hence,we dipose of this M.A with a direction to the Consevator of Forest,Forest Department,Varanasi Range to ensure appropriate action for compensatory plantation and recovery of compensation on the basis of the report of the Joint Inspection Committee after giving an opportunity of hearing to the concerned electricity department.

उपरोक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी जौनपुर की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति / टीम के द्वारा जारी संयुक्त निरीक्षण आदेश कार्यालय जिलाधिकारी जौनपुर का पत्रांक–3664 / डी0एफ0ओ0,जौनपुर दिनांक–01–05–2023 के कम में निम्न बिन्दुओं पर आपकी बचनबद्धता इस कार्यालय में दिनांक–25–10–2023 को पूर्वान्ह 11.00 बजे स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :–

1– मौके पर 21 वृक्ष खड़े पाये गये वृक्षों का पातन विद्युत विभाग नहीं करेगा ।

2– कार्यशाला परिसर में विद्युत कार्यशाला निर्माण हेतु पातन किये गये वृक्षों के प्रतिपूर्ति हेतु 510 पौधों का (शीघ्र बढ़ने वाले ) पौधरोपण कराने का बचनबद्धता (अण्डर टेकिगं)

आपके द्वारा प्रस्तुत बचन बद्धता के आधार पर माननीय एन0जी0टी0नई दिल्ली में दिनांक–13–12–2023 के पूर्व अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना है ।अतः समय सीमा का ध्यान रखा जाय ।

9/10/2023

(अखिलेश पाण्डेय)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी

# कार्यालय वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी

(वन भवन, एच0आई0जी0–33,अशोक बिहार कालोनी फेज–1 पहड़िया वाराणसी–221007
E-Mail-cfvaranasi2@yahoo.com, cfva-up@nic.i दूरभाष–0542–2585444


पत्रांक– 1212 /2–43 दिनांकः वाराणसीः नवम्बर, 29 2023

सेवा में,

**अधिशासी अभियंता,**
विद्युत जनपद खण्ड,(वि0)
वाराणसी ।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0,नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–101/2023 (एम0ए0नं078/2023) लाल चन्द्र शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दि0–14–09–2023 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– 1–उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी का पत्रांक–1564/ओ0ए0एन0101/2023/23–24 दिनांक–19–09–2023।

2–इस कार्यालय का पत्रांक–932/2–43, दिनांक–19.10.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक–19.10.2023 द्वारा 02 बिन्दुओ पर वचनबद्धता उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय में दिनांक–25.10.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु आप निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुए। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–28.10.2023 को आपके मोबाईल नम्बर–9450963878 पर वार्ता किया गया जिसके कम में आप द्वारा आश्वासन दिया गया कि यथाशीघ्र अन्डर टेकिंग उपलब्ध करा दिया जायेगा। पुनः इस कार्यालय के सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आपके उक्त सम्पर्क नम्बर पर दिनांक–17.11.2023 व 20.11.20023 को वार्ता किया जिसके कम में आप द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही अन्डर टेकिंग उपलब्ध करा दिया जायेगा। परन्तु आज दिनांक–28.11.2023 का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अन्डर टेकिंग उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे मा0 मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–14.09.2023 का अनुपालन आख्या प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली पारित आदेश दि0–14.09.2023 के कम में 02 बिन्दुओं पर अन्डर टेकिंग तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उक्त प्रकरण में आपका व्यक्गित ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय

(अखिलेश पाण्डेय)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी

संख्या– 1212 (I)/समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, जौनपुर।
2– उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
3– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

(अखिलेश पाण्डेय)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत जानपद खण्ड (वि0)
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0,
विद्युत नगर, भिखारीपुर, डी0एल0डब्ल्यू0
वाराणसी–221004

CIN-U31200UP2003SGC027461

Email:eecivil.vnspuvvnl@gmail.com
Mob. No.-9450963878
Land Line No-05422300833

पत्रांक :–1976/वि0जा0ख0(वि0)/वा0/ दिनांक 29/11/2023

विषयः– मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–101/2023 (एम0ए0न0–78/2023) लाल चन्द्र शर्मा बनाम टेस्ट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2023 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त,
वन भवन, एच0आई0जी0–33,
अशोक बिहार कालोनी फेज–1,
पहड़िया, जनपद–वारारणसी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अपने कार्यालय पत्रांक–1212/2–43/वाराणसी, दिनांक 29.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके सम्बन्ध में वॉछित शपथ–पत्र संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ अग्रेसर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोपरि।

29/11/23
(अनिरूद्ध चौरसिया)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांकः /वि0जा0ख0(वि0)/वा0/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र (वि0), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
2– अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वि0), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
3– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जनपद–जौनपुर।

(अनिरूद्ध चौरसिया)
अधिशासी अभियन्ता

कोर्ट केस प्र0
30/11/23

कार्यालय वन संरक्षक
वाराणसी वृत्त, वाराणसी
क्रमांक 2713
पत्रावली 2-43
दिनांक 01/12/2023

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत जानपद खण्ड (वि0)
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0,
विद्युतनगर, भिखारीपुर, डी0एल0डब्ल्यू0
वाराणसी—221004

Email:eecivil.vnspuvvnl@gmail.com
Mob. No. 9450963878
Land Line No. 05422300833

CIN-U31200UP2003SGC027461

पत्रांकः 2018 / वि0जा0खं0(वि0) / वा0 / बदलापूर—जौनपुर दिनांकः 08 / 12 / 2023

**विषयः**—जनपद—जौनपुर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिगत तहसील बदलापुर के ग्रामसभा—पट्टीदयाल में विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला के नवनिर्माण हेतु वृक्षों के पातन सम्बन्धी शपथ पत्र।

वन संरक्षक,
अशोक विहार कालोनी,
फेज—1, पहड़िया,
नियर पी.एफ. आफिस
वाराणसी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में वांछित शपथ पत्र(मूल रूप) में संलग्न कर आपको अग्रेसर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः—शपथ पत्र (मूल रूप में)।

08/12/23
(अनिरूद्ध चौरसिया)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांकः / वि0जा0ख0(वि0) / वा0 / बदलापुर—जौनपुर / तद्दिनांकः ......... / ......... / .2023

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—**

1— मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र(वि0), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
2— अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल(वि0), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।

(अनिरूद्ध चौरसिया)
अधिशासी अभियन्ता

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 79AE 659058

## शपथ–पत्र

जनपद–जौनपुर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिगत तहसील बदलापुर के ग्रामसभा –पट्टीदयाल में विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला के नवनिर्माण हेतु वृक्षों के पातन से सम्बन्धी शपथ पत्र बिन्दुवार निम्नलिखित है:–

**1**– यह कि कार्यस्थल पर अवशेष किसी भी वृक्ष का किसी भी दशा में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड(वि0) वाराणसी द्वारा पातन नहीं किया जायेगा।

**2**– यह कि विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला के परिसर में अवस्थित रिक्त स्थानों पर वन विभाग के मानक के अनुसर 31 अदद पौधों का पौधारोपण कर दिया गया है।

**3**– यह कि अवशेष लगभग 490 पौधों का पौधारोपण सुनिश्चित करने हेतु आपके कार्यालय पत्रांक संख्या–3550/22–5/जौनपुर,दिनांक 25.04.2023 के द्वारा चाही गयी वांछित धनराशि **रू0 4,07,100.00** का भुगतान प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपर (NH-56) के खाता संख्या –1127104000075572 एवं I.F.S.C.–IBKL0001127 में कर दिया गया है, जिसकी अग्रिम कार्यवाही जिला वन अधिकारी, जनपद– जौनपुर के द्वारा की जानी है।

| | | |
|---|---|---|
| 7.12.2023 | 07.12.2023 | 07/12/23 |
| (अमित सिंह) | (श्वेता रानी जायसवाल) | (अनिरूद्ध चौरसिया) |
| अवर अभियन्ता | उपखण्ड अधिकारी | अधिशासी अभियन्ता |
| विद्युत जानपद उपखण्ड(वि0)–प्रथम | विद्युत जानपद उपखण्ड(वि0)–प्रथम | विद्युत जानपद खण्ड(वि0) |
| वाराणसी | वाराणसी | वाराणसी |

NOTARY GOVT. OF INDIA D.K. Srivastava Distt.-Varanasi Regn. No. 17885 Exp. 2024

क्रम संख्या......4729...... 6-12-023

स्टाम्प विक्रय की तिथि...............................

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...................... अधिशासी अभियन्ता

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता................. विद्युत

स्टाम्प की धनराशि.....10/-........................ वितरण

स्टाम्प विक्रेता का पूरा नाम-श्रीमती सावित्री दे

लाइसेन्स नम्बर 798.

लाइसेन्स की अवधि 2023 से 2028

अधिकृत विक्रय करने का स्थान व पूरा पता चितईपुर चौराहा वाराणसी

NOTARY GOVT. OF INDIA
D.K. Srivastava
Distt.-Varanasi
Regn No.-17885
Exp.-2019-2024

तब शपथकर्ता ने शपथ ग्रहण की
Verified by Deponent before me
प्रस्तुति द्वारा अधिवक्ता श्री...
Councelled by Advocate Shri...
आज दिनांक ... समय ...

डी.के. श्रीवास्तव, एडवोकेट
Notary Govt. of India
Regn.No.-17885

कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।
पत्रांक : 3550 /22-5 जौनपुर : दिनांक : अप्रैल, 25, 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत जानपद खण्ड(वि)
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0
विद्युत नगर, भिखारीपुर, डी0एल0डबल्यू0
वाराणसी।

विषयः— मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन0जी0टी) नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर–101/2023 द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2021 के अनुपालन में विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्याशाला के परिसर में अवस्थित रिक्त स्थानों पर वन विभाग के मानक के अनुसार वृक्षारोपण एवं वचनबद्ध पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः—
1. इस कार्यालय के पत्रांक 3137/14–16 दिनांकः 25.03.2023 ।
2. इस कार्यालय के पत्रांक 3306/14–16 दिनांकः 03.04.2023।
3. आपसे आज दिनांक 25.04.2023 को हुई दूरभाष वार्ता।

महोदय,

आपसे हुई दूरभाष वार्ता के क्रम में विषयगत प्रकरण में वन विभाग से 490 पौधों का रोपण कराने हेतु वांछित धनराशि 4,07,100.00 का Estimate आपकों संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कृपया उपरोक्त धनराशि अविलंब वनविभाग को उपलब्ध कराये जिससे कि वन विभाग द्वारा शीघ्रातिशीघ्र वृक्षारोपण कराया जा सके साथ ही अपने वचनबद्ध–पत्र में इसे अंकित करने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी जौनपुर की अध्यक्षता मे गठित कमेटी द्वारा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन0जी0टी) नई दिल्ली को अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सके।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रवीन खरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

# कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

पत्रांक : 2103/2-43 जौनपुर : दिनांक : दिसम्बर, 5 ,2023।

सेवा में,

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

**विषय — माननीय एन०जी०टी०नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 101/2023(एम०ए० न0 78/2023) लालचंद शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 14.09.2023 का अनुपालन किए जाने के संबंध में।**

**सन्दर्भ— आपका पत्रांक 783/2—43 वाराणसी दिनांक 30.09.2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद—जौनपुर में तहसील बदलापुर के ग्रामसभा—पट्टीदयाल में विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला के नवनिर्माण हेतु जिलाधिकारी महोदय जनपद—जौनपुर के कार्यालय पत्रांक संख्या—169/ डी०एस०आर०सी०—जौनपुर, दिनांक 15.12.2021 के द्वारा भूमि आवंटित की गयी थी। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत विभाग द्वारा वांछित अनुमति के क्रम में इस कार्यालय पत्रांक संख्या—2079/22—5 जौनपुर, दिनांक 18.02.2022 के द्वारा अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर वृक्षों का पातन विद्युत विभाग द्वारा कराया गया। उक्त के क्रम में पुनः इस कार्यालय के पत्रांक संख्या—773/33—3 जौनपुर दिनांक 03.09.2022 के द्वारा अभिवहन कि अनुमति प्राप्त करते हुए विद्युत विभाग के द्वारा वृक्षों के प्रकाष्ठ को कार्यस्थल से हटवाया गया।

ग्राम सभा पट्टीदयाल परगना—रारी, तहसील व विकास खण्ड—बदलापुर जनपद जौनपुर में विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला का निर्माण न हो पाये इसलिए श्री लालचन्द्र शर्मा व अन्य ग्रामीणों व निवासीगण पट्टीदयाल बदलापुर जौनपुर द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) में शिकायत की गई थी। उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर—101/2023 द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी, जौनपुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिनांक 21.03.2023 को ग्राम सभा पट्टीदयाल, परगना—रारी, तहसील व विकास खण्ड—बदलापुर जनपद जौनपुर/विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला के कार्यस्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यस्थल पर अवशेष किसी भी वृक्ष का किसी भी दशा में पातन नहीं किया जायेगा।

अतः उक्त आदेशों के अनुपालन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्यस्थल पर अवशेष किसी भी वृक्ष का किसी भी दशा में पातन नहीं किया जायेगा। साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला के परिसर में स्थित रिक्त स्थानों पर वन विभाग के मानक के अनुसार 31 अदद पौधों का पौधारोपण कर दिया गया है एवं अवशेष लगभग 490 पौधों का पौधारोपण सुनिश्चित करने हेतु इस कार्यालय पत्रांक संख्या—3550/22—5/जौनपुर, दिनांक 25.04.2023 के द्वारा चाही गयी वांछित धनराशि रू0 4,07,100.00 का भुगतान प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग जौनपुर के खाता संख्या—1127104000075572 एवं आई.एफ.एस. सी.— IBKL0001127 में कार्यालय अधिशसी अभियंता विद्युत जानपद खण्ड (वि0) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत नगर भिखारीपुर डी0एल0डब्ल्यू0 वाराणसी के पत्रांक संख्या—1775/(वि0जा0खा0वि0) के क्रम में जमा किया जा चुका है। जिसकी अग्रिम कार्यवाही करते हुए इस वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त वांछित स्थल पर 490 अदद पौधों का स्थानीय प्रजातियों का चयन करते हुए वृक्षारोपण का कार्य सफलतापूर्वक कर दिया गया है।

अतः माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन इस वन प्रभाग द्वारा कर लिया गया है।

उपरोक्त अनुपालन आख्या आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
जौनपुर